न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, ब्यावर।

दीवानी वाद सं. 04/2013 सी.आई.एस. नं. 39/2014

श्रीमती हेमलता बनाम चांदमल व अन्य

दिनांक 30.07.2025

वकील पक्षकारान उपस्थित।

न्यायिक कर्मचारियों के दिनांक 22.07.2025 को सामूहिक अवकाश पर होने से पत्रावली में कॉमन डेट दिए जाने से पत्रावली आज पेशी में ली गई।

इस आदेश द्वारा अधिवक्ता वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65, 66 साक्ष्य अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांकित 03.05.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

अधिवक्ता वादिया ने प्रार्थना पत्र के जरिए निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रकरण में वादिया द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद के पद सं. 1 में वर्णित जायदाद, जिसमें वादिया का हक व हिस्सा चला आ रहा है, वादिया की माता शांति देवी की मृत्यु के बाद सादे कागज पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हक में फर्जी, अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 26.05.1992 अपने हक में तैयार कर उक्त कूटरचित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त जायदाद का बेचान प्रतिवादी सं. 6 के हक में दिनांक 26.11.2011 को बेचाननामा पंजीकृत करवा दिया था और मूल फर्जी वसीयत/बेचाननामा प्रतिवादी सं. 6 के कब्जे में है। न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2024 को उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश करते हुए प्रतिवादी सं. 6 को आदेशित करते हुए उक्त तथाकथित असल दस्तावेज अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 26.05.1992 व बेचाननामा दिनांक 26.11.2011 अविलंब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना प्रतिवादी सं. 6 द्वारा नहीं की गई। उपरोक्त कारणों से वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 26.05.1992 फोटो

कॉपी व प्रमाणित नकल बेचाननामा दिनांक 26.11.2011 पर द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है अन्यथा वादिया का वाद लाने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फोटो कॉपी वसीयतनामा दिनांक 26.05.1992 व प्रमाणित नकल बेचाननामा दिनांक 26.11.2011 पर द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दिए जाने बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश नहीं कर मौखिक रूप से विरोध प्रकट किया गया और प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार वे अवस्थाएं जिनमें कि द्वितीयक साक्ष्य अनुमत किया गया है, के अनुसार जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति अधीन है, जिसके विरूद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है या जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के बाद उसे पेश नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में द्वितीयक साक्ष्य अनुमत किया जा सकेगा। पत्रावली को देखने पर दृष्टिगत होता है कि वादी द्वारा फोटो कॉपी वसीयतनामा दिनांक 26.05.1992 व प्रमाणित प्रति बेचाननामा दिनांक 26.11.2011 को प्रदर्शित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। तथाकथित दस्तावेजात के असल प्रतिवादी सं. 6 के कब्जे में होने संबंधी तथ्य सामने आए। तदुपरांत दिनांक 06.12.2024 की आदेशिका के अनुसार उक्त दस्तावेजात के अस्तित्व से प्रतिवादी सं. 6 का इनकार नहीं होने से प्रतिवादी सं. 6 को इस संदर्भ में शपथ पत्र प्रकटीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

धारा 65 साक्ष्य अधिनियम में उल्लेखित किया गया है

कि किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा, जिसमें (65(सी) साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जबकि मूल नष्ट हो गया हो, खो गया हो या जबकि उसकी अन्तर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता, इस अवस्था में दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। धारा 63 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार धारा 63(2) में मूल की ऐसी यांत्रिक प्रकिया द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य की कोटी में आती हैं। इस प्रकार धारा 65 साक्ष्य अधिनियम में वे अवस्थाएं वर्णित की गई हैं, जबकि द्वितीयक साक्ष्य को अनुमत किया गया है, जिसमें कि नष्ट होने, खोने व अन्तर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार की स्वयं की गलती या उपेक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत राकेश मोहिन्द्रा बनाम अनिता बेरी 2016(16) एस.सी.सी. 483 तथा श्रीमती जे. यशोदा बनाम श्रीमती के. शोभारानी ए.आई.आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट का विवेचन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत राकेश मोहिन्द्रा बनाम अनिता बेरी 2016(16) एस.सी.सी. 483 में अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई पार्टी द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती है तो ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज की साक्ष्यिक महत्व को परीक्षित किया जाना चाहिए और उसकी अन्तर्वस्तु को परीक्षित किया जाना चाहिए और यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि यह दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है या नहीं और इसी समय

पक्षकार को तथ्यात्मक रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि जिस दस्तावेज का वह द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है, उसका प्राथमिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत श्रीमती जे. यशोदा बनाम श्रीमती के. शोभारानी ए.आई.आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के क्षेत्र पर विचार किया, जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि धारा 65 साक्ष्य अधिनियम दस्तावेज के अस्तित्व, दशा और अन्तर्वस्तु के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य देने हेतु अनुमत करती है, लेकिन जो परिस्थितियां धारा 65 साक्ष्य अधिनियम में दी गई हैं, वो प्रथमतः पूर्ण होनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य अनुमत नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मूल को प्रस्तुत न किए जाने के कारणों का परिक्षण न हुआ हो और जो उसे धारा 65 साक्ष्य अधिनियम की परिधी में लाते हो।

स्वीकारोक्ति कथन के रूप में प्रतिवादी सं. 6 का अभिकथन इस न्यायालय के समक्ष दांडिक कार्यवाही में अनुसंधानिक अधिकारी के समक्ष वसीयतनामा दिनांकित 26.05.1992 के चोरी होने के संबंध में दर्शित किया है व उक्त दस्तावेज वादी की पहुंच के बाहर है। अतः ऐसी स्थिति में धारा 65 में उल्लेखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथाकथित फोटो प्रति दस्तावेज वसीयतनामा के अस्तित्व, दशा व अंतर्वस्तु के संबंध में व प्रमाणित प्रति बेचाननामा दिनांकित 26.11.2011 हेतु द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65, 66 साक्ष्य अधिनियम सपठित धारा 151 जा. दी. दिनांकित 03.05.2025 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिया में दिनांक .... को पेश हो।